रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2017, शनिवार/माघ 30—फाल्गुन 6, 1938

No. 7] NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2017, SATURDAY/MAGHA 30— PHALGUNA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा विभाग, (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,

(क) स्तम्भ (4) के शीर्ष में निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् –

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 3rd January, 2017

G.S.R. 56.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely:--

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, in rule 42, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

"(3A) An allottee shall have an option to make payment of ground rent referred in sub-rule (3) on a capitalised basis for a block of thirty years each:

Provided that no waiver of payment of interest shall be allowed in respect of existing lessees who are defaulters on payment of ground rent and opt to exercise option under this sub-rule for payment of ground rent.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, it is clarified that where an allottee exercises the option of payment of ground rent on capitalised basis, the payment of ground rent for the first block shall be made along with the premium in the first year of lease, and similarly, payment of ground rent for the next 30 years (31^{st} – 60^{th} year) shall be made in the 31^{st} year of lease period and ground rent for the next 30 years (61^{st} – 90^{th} year) shall be in the 61^{st} year of lease period and so on and the lump-sum annual ground rent shall be calculated by using the discounting factor of 7.5% per annum."

[F. No. K-20015/02/2014-DD-III]

S. B. PRASAD, Under Secy .

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989; G.S.R. 677 (E), dated the 11th November, 1991; G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002; G.S.R. 806 (E), dated the 3rd December, 2002 and G.S.R. 801 (E), dated the 9th December, 2004.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 57—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता (कनिष्ठ अनुवादक), भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु -सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	5* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) सचिवीय	स्तर -6 (35400 रु.-112400 रु.)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमांचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति –क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम के साथ किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य और जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो; (ii) **अनुभव:** हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का प्रयोग/उपयोग में 2 वर्ष और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के कार्यालय या उपक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्था संस्था में अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अधिमानत: तकनीकी या वैज्ञानिक प्रकृति के अनुवाद कार्य का अनुभव हो: या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय या उपक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में हिन्दी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी। (क) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं, और (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से भारत की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी से भिन्न भाषाओं में से किसी एक का मैट्रिकुलेशन के स्तर का ज्ञान या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है और उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य 3. वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'डी', राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/03/2011-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उपनिदेशक (एन.टी.एच.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 20th, February, 2017

G.S.R. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Kolkata,(Junior Translator), Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the National Test House, under the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the National Test House (Junior Translator) Recruitment Rules, 2017.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**-The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. .**- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	5* (2017) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level - 6 (Rs.35400-Rs.112400/-)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh

					Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level ; or Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level ; or Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject at the degree level ; or Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level ; or Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at the degree level. (ii) **Experience** Two years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature in a Central or State Government Office or Undertaking or in any recognized Institution; or Two years' experience of teaching in Hindi and English or research work in Hindi or English in a Central or State Government Office or Undertaking or in any recognised Institution. **Desirable :** (i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognised Board or equivalent of one of the language other than Hindi mentioned in the Eight Scheduled to the Constitution. (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from any recognised University or Institution.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from the officials of the Central Government - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The maximum age-limit for appointment by deputation, shall not be exceeding fifty six years as on the closing date or receipt of applications).

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Note applicable	**Group 'B' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director General, National Test House - Chairman 2. Director National Test House - Member 3. Senior most Scientist D, National Test House - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/03/2011 – NTH]
D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 58.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, आशुलिपिक श्रेणी –I, भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय परीक्षण शाला, में आशुलिपिक श्रेणी- I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (आशुलिपिक श्रेणी- I) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।